(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब तक सरकार ने उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन): (क) से (ग) प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 132 परिवीक्षाधीन उप-निरीक्षक, 1/2 जुलाई, 1995 की रात्रि के दौरान हाजिरी लेने पर उस समय अस्थायी रूप से अनुपस्थित पाए गये थे जब वे अपना कमांडो कैपसूल पाठ्यक्रम कर रहे थे। पूछताछ करने पर पाया गया कि उनमें से 85 वास्तव में साथ के मनोरंजन कक्ष में टेलीविजन पर एक फिल्म देख रहे थे। इन सभी को लिखित रूप में चेतावनी जारी कर दी गई है। परिवीक्षाधीन 47 उप-निरीक्षकों, जो बिना अनुमति के परिसर छोड़कर चले गए थे, में से 43 उप-निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए। तदनुसार, इस सभी 43 उप-निरीक्षकों को परिनिन्दा का दंड दिया गया है। शेष 4 उप-निरीक्षकों की सेवाओं को उनकी अनुपस्थिति के कारण समाप्त कर दिया गया था। तथापि, अनुशासनात्मक अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील किए जाने पर इन चारों को सेवा में पुनः वापस ले लिया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा उठायी गई हानियां

237. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को प्रतिवर्ष भारी वित्तीय हानियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के प्रथम 9 महीनों के दौरान डी०टी०सी० को कितनी राशि की हानि हुई;

(ग) डी०टी०सी० को प्रतिवर्ष को रही हानि के प्रमुख कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार इन वित्तीय हानियों को देखते हुए डी०टी०सी० के अनावश्यक प्रशासनिक व्यय में कमी करने तथा उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

(करोड़ रु०)

वर्ष	कार्यशीलघाटा (ब्याज और मूल्य ह्रास को छोड़कर)	कुल घाटा (ब्याज और मूल्यह्रास सहित)
1993-94	83.60	281.84
1994-95	68.27	307.04
1995-96 (दिसम्बर, 95 तक)	68.61	299.70

(ग) दिल्ली परिवहन निगम को घाटा निम्न किराए ढांचे, प्रचालन की बढ़ती लागत, फालतू स्टाफ और सामाजिक दायित्व आदि के कारण हो रहा है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) दि०प०नि० के फालतू स्टाफ को कम करने के लिए इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम शुरू करना।

(ii) दि०प०नि० के किराए ढांचे को दि० 21.6.94 से युक्तिसंगत बनाना।

(iii) जनशक्ति अनुपात में कमी।

(iv) भर्ती पर प्रतिबंध।

(v) घाटे वाले और लाभ वाले रूटों का सतत् रूप से वास्तविक संतुलन बनाया जा रहा है।

Sanction of Telephones on the Recommendations of M.P.s

238. SHRI SHIV CHARAN SINGH: will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recommendations of MPs for Sanction of Telephone connections on an out of turn

priority basis outside their respective State/Constituencies take longer than 30 days;

(b) if so, the telecommunication circle-wise details of recommendations made by MPs upto 31st January, 1996 and which still remain unexecuted as on date;

(c) whether any effort has been made/ contemplated to give effect to these recommendations speedily? and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Sanctions for telephone connection are issued immediately on receipt of instructions from the Hon'ble M.Ps. and normally telephone connections are provided within 30 days, However, for a few cases, it takes more than the prescribed time due to technical non-feasibility/non compliance of formalities by the beneficiaries.

(b) the information is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) and (d) Yes, Sir, For speedy provision of the telephones recommended by the Hon'ble M.Ps, for a place outside their constituency, instructions have already been issued whereby the Head of concerned circles would liaise with their counter part for provisions of thelephone connection within 30 days. Wherever, it is technically non-feasible the Head of circle will intimated to the M.P. as well as the beneficiary, the expected date of installation.

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को आपातकालीन वीज़ा

239. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को प्राथमिकता आधार पर और किसी पूर्व सत्यापन के बिना आपातकालीन वीजा जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; यदि हां, तो किस हद तक;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ङ) जो पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत में पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत आकस्मिक संकट के कारण भारत आना चाहते हैं। उनको तत्काल वीजा जारी किया जाता है। सभी मामलों की तरह इन मामलों में भी वीजा प्रदान करते समय निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीजा देते समय, सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो।

भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिक

240. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:
श्री राजनाथ सिंह:
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1996 के साप्ताहिक "सन्डे ओब्जरवर" में "ओवर 50,000 पाक नेशनल्ज हाइडिंग इन इण्डिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से भारी संख्या में विदेशी राष्ट्रिक इस देश में अवैध रूप से आते रहे हैं;

(ग) देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) ये विदेशी राष्ट्रिक किन-किन देशों के रहने वाले हैं; और

(ङ) सरकार ने इन विदेशी राष्ट्रिकों को उनके देशों में वापस भेजने के लिये क्या नीति अपनाने का निर्णय लिया है?